

—अल्पकालिक नीलामी सूचना—

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पुलिस लाइन्स जनपद बिजनौर स्थित 03 पुरानी जर्जर बैरक अनावासीय भवनों में स्थित भवनों के मलबे की नीलामी दिनांक 27.12.2014 को जिलाधिकारी जनपद बिजनौर द्वारा गठित समिति के समक्ष सार्वजनिक रूप से समय 12:00 बजे की गई थी, जिसे अपरिहार्य कारणों से निरस्त किया गया है एवं उक्त भवनों की नीलामी हेतु अग्रिम तिथि 21-02-2015 निर्धारित की जाती है। नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति निर्धारित प्रारूप एवं शर्तों के अधीन नीचे दर्शायी गई टोकन मनी को एक दिन पूर्व 20.02.2015 को जमा कर नीलामी में भाग ले सकते हैं। नीलामी की शर्तें एवं अन्य जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में पुलिस लाइन्स/प्रधान लिपिक शाखा पुलिस कार्यालय जनपद बिजनौर से प्राप्त की जा सकती है, निर्धारित प्रारूप एवं शर्तें कार्यालय की वेबसाइट <http://bijnor.nic.in> से भी प्राप्त की जा सकती है।

| क्रमांक | नीलामी वाले भवन                                                  | टोकन मनी  |
|---------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1       | पुलिस लाइन्स जनपद बिजनौर स्थित 03 पुरानी जर्जर बैरक अनावासीय भवन | 50,000-00 |

- 1- ठेकेदार द्वारा नीलामी से पूर्व दिनांक 20-02-2015 को 1700 बजे के पूर्व टोकन राशि के रूप में रूपया 50,000-00 (रूपया पचास हजार मात्र) बन्द लिफाफे में जमा करना होगा, जिसमें ठेकेदार का पूरा नाम/पता भी अंकित हों।
- 2- ठेकेदार नीलामी से पूर्व ही नीलामी स्थल का मलीमांति निरीक्षण कर लें तथा नीलामी के सामान की जानकारी पुलिस लाइन्स जनपद बिजनौर से प्राप्त कर लें अन्यथा इस संबंध में विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
- 3- सशर्त नीलामी स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 4- नीलामी स्वीकृत होने के बाद 07 दिवस के अन्दर नीलामी की सम्पूर्ण धनराशि जमा करानी अनिवार्य होगी धनराशि जमा न करने के फलस्वरूप ठेकेदार द्वारा जमा की गई धनराशि रूपया 50,000-00 (रूपया पचास हजार मात्र) को जब्त कर लिया जायेगा।
- 5- बिना कारण बताये सक्षम अधिकारी के समस्त अथवा किसी भी नीलामी निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
- 6- अधिकतम बोलीदाता की ही नीलामी राशि स्वीकृत की जायेगी।
- 7- बोलीदाता आवेदन के समय अपना/फर्म का टिन नम्बर /चरित्र प्रमाण पत्र/फोटो पहचान पत्र संलग्न करे।

पत्रांक: भ-05/2011

दिनांक-फरवरी 10, 2015

21  
पुलिस अधीक्षक,  
बिजनौर।

- 1- जिलाधिकारी जनपद बिजनौर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी जनपद बिजनौर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3- समस्त क्षेत्राधिकारी जनपद बिजनौर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4- समस्त उपजिलाधिकारी जनपद बिजनौर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 5- अधीशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, धामपुर/नजीबाबाद/चौदपुर जनपद बिजनौर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 6- अपर पुलिस अधीक्षक नगर/ग्रामीण को सूचनार्थ हेतु।
- 7- उपजिलाधिकारी, सदर जनपद बिजनौर को सूचना र्थ प्रेषित।
- 8- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद बिजनौर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 9- अधीशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, बिजनौर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 10- क्षेत्राधिकारी नगर जनपद बिजनौर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 11- प्रतिसार निरीक्षक को सूचनार्थ।
- 12- नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
- 13- जिला सूचना अधिकारी जनपद बिजनौर को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त विज्ञप्ति को वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- 14- सम्पादक हिन्दुस्तान/उजाला जनपद बिजनौर इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त विज्ञापन को राजकीय दरों पर प्रकाशित कराते हुए अपने बिलों को भुगतान हेतु पुलिस कार्यालय की आंकिक शाखा में उपलब्ध कराने का कष्ट